



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
(Accredited by Naac with Grade A+)

दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in



क्रं. 2077/अका./2026

बिलासपुर, दिनांक 17/09/2026

// अधिसूचना //

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 55वीं बैठक आपात बैठक दिनांक 24/08/2026 में पारित प्रस्ताव क्रमांक 07 तथा कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 30/नियमित/2026 दिनांक 27.08.2026 के निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय में 04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP-Four Year Under Graduate Programme) प्रारंभ करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।

साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के Circular क्रमांक F. No. 7 -2/2026 (DEB-NWR), दिनांक 28 जुलाई 2026 के परिपालन में यह निर्णय लिया गया है कि जो विद्यार्थी 04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करके आएंगे, उन्हें एक –वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी।

उक्त व्यवस्था विश्वविद्यालय में संचालित निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू होगी –

1. एम.ए. – हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गणित, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी एवं शिक्षा
2. एम.एस.सी. – कम्प्यूटर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान एवं गणित
3. एम.कॉम.
4. एम.एस.डब्ल्यू.
5. एम.बी.ए.

अतः उपर्युक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पात्र विद्यार्थियों के लिए एक –वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संबंधी प्रावधान UGC के निर्धारित नियमों एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधानों के अधीन प्रभावशील होंगे।

उक्त अधिसूचना जारी तिथि से प्रभावशील होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 2078/अका./2026
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 17/09/2026

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर छ.ग.
2. निज सचिव, कुलपति जी को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. समस्त विश्वविद्यालय शिक्षण विभागाध्यक्ष, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. निदेशक, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग, सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, प्रवेश विभाग, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अकादमी विभाग, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी वेबसाइट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अकादमी